रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 1975/भाद्र 17, 1897

No. 252] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 1975/BHADRA 17, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 8th September, 1975

G.S.R. 487 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 46/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, the Central Government hereby exempts electric wires and cables of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items of Item No. 33B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (4) of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Sub-Item No.	Description	Duty
1	2	3	4
1.	(i)	Winding wires made of copper or aluminium	10 per cent. *ad valorem*
2.	(i)	Telecommunication wires and cables used as— (a) overhead or underground telecommunication wires and cables; (b) overground (laid on the ground) telecommunication wires and cables, excluding internal housing cables ancillary for telecommunication purposes, supplied on specific demand for telecommunication purposes.	5 per cent *ad valorem*
3.	(i)	All electric wires and cables, excluding those specified against S.Nos. 1 and 2 of this Table, manufactured by an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on plant and machinery only, installed therein as on the date or dates of the initial installation of the plant and machinery, is not more than rupees ten lakhs.	14·5 per cent *ad valorem*
4.	(i)	Winding wires made of aluminium manufactured by an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on plant and machinery only, installed therein as on the date or dates of the initial installation of the plant and machinery, is not more than rupees ten lakhs.	9 per cent *ad valorem*
5	(ii)	All electric wires and cables manufactured by an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on plant and machinery only, installed therein as on the date or dates of the initial installation of the plant and machinery is not more than rupees ten lakhs, but excluding — (i) un-insulated copper wires (whether single or stranded or bunched), and (ii) winding wires made of copper.	4 per cent *ad valorem*
6.	(ii)	All other electric wires and cables.	5 per cent *ad valorem*

2. Where the capital investment on plant and machinery only, installed in an industrial unit referred to in column (3) of the Table annexed to the preceding paragraph against the corresponding entry in serial No. 3, 4 or 5 of the said Table as on the date or dates of the initial installation of the plant and machinery,—

(i) is less than rupees ten lakhs, exemption shall be allowed under this notification till such period the original value as on the date or dates of the initial installation of the plant and machinery plus capital investment, if any, made on plant and machinery subsequent to the date or dates of the initial installation do not exceed rupees ten lakhs;

(ii) is ten lakhs, no exemption shall be allowed under this notification if any capital investment made on plant and machinery subsequent to the date or dates of the initial installation has the effect of increasing the value of the capital investment thereof in excess of rupees ten lakhs in terms of original valuation.

[No. 199/75]

R. K. CHAKRABARTI, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1975

सा०का०नि० 487 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 46/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1975 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के बिजली के तारों और केबलों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 33 ख की उन उप-मदों के अन्तर्गत आते हैं, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	उपमद सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)
1	(i)	तांबे या एल्युमिनियम के बने विसर्पी तार	मूल्यानुसार 10 प्रतिशत
2	(i)	निम्नलिखित के रूप में प्रयुक्त दूर संचार तार और केबल (क) ऊपरले या भूगर्भस्थ दूर संचार तार और केबल, (ख) भू-ऊपरी (भूमि पर बिछाए गए) दूर संचार तार और केबल, दूर संचार प्रयोजनों के लिए सहायक आन्तरिक गृह केबलों को छोड़कर, जो दूर संचार प्रयोजनों के लिए विशेष मांग पर सप्लाई किए जाते हैं।	मूल्यानुसार 5 प्रतिशत
3	(i)	किसी ऐसी औद्योगिक यूनिट द्वारा, जिसकी बाबत सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर के रेंक से अन्यून रेंक के किसी अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि संयंत्र और मशीनरी के प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख या तारीखों पर उसमें प्रतिष्ठापित सिर्फ संयंत्र और मशीनरी का पूंजी-विनियोजन दस लाख रुपए से अधिक नहीं है, विनिर्मित सभी बिजली के तार और केबल, इस सारणी का क्रम सं० 1 और 2 के सामने विनिर्दिष्ट को छोड़कर।	मूल्यानुसार 14.5 प्रतिशत

(1)	(2)	(3)	(4)
4	(i)	किसी ऐसी औद्योगिक यूनिट द्वारा, जिसकी बाबत सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर के रेंक से अन्यून रेंक के किसी अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि संयंत्र और मशीनरी के प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख या तारीखों पर उसमें प्रतिष्ठापित सिर्फ संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी विनियोजन दस लाख रुपए से अधिक नहीं है, विनिर्मित विसर्पी तार जो एल्युमिनियम से बनाए गए हों ।	मूल्यानुसार 9 प्रतिशत
5	(ii)	किसी ऐसी औद्योगिक यूनिट द्वारा, जिसकी बाबत सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर के रेंक से अन्यून रेंक के किसी अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि संयंत्र और मशीनरी के प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख या तारीखों पर उसमें प्रतिष्ठापित सिर्फ संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी विनियोजन दस लाख रुपए से अधिक नहीं है, विनिर्मित सभी बिजली के तार और केबल । किन्तु निम्नलिखित इसमें से अपवर्जित हैं,— (i) तांबे के आरोधी तार (चाहे वे एकल हों या गंकित या गुच्छित हों), और (ii) तांबें से बने विसर्पी तार ।	मूल्यानुसार 4 प्रतिशत
6	(ii)	बिजली के अन्य सभी तार और केबल	मूल्यानुसार 5 प्रतिशत

2. जहां इससे पूर्ववर्ती पैरा में उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में उक्त सारणी की क्रम संख्या 3, 4 या 5 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि के सामने निर्दिष्ट औद्योगिक यूनिट में प्रतिष्ठापित सिर्फ संयंत्र और मशीनरी पर पूंजी विनियोजन, संयंत्र और मशीनरी के प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख या तारीखों पर,—

(i) दस लाख रुपए से कम है तो इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट उस अवधि तक अनुज्ञात होगी जब तक संयंत्र और मशीनरी की प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख या तारीखों पर मूल मूल्य तथा प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख या तारीखों के पश्चात् संयंत्र और मशीनरी पर किया गया पूंजी विनियोजन, यदि कोई हो, दस लाख रुपए से अधिक नहीं हो जाता,

(ii) दस लाख रुपए है तो इस अधिसूचना के अन्तर्गत कोई भी छूट अनुज्ञात नहीं होगी यदि प्रारम्भिक प्रतिष्ठापन की तारीख या तारीखों के पश्चात् संयंत्र या मशीनरी पर किया गया कोई पूंजी विनियोजन मूल मूल्यांकन के अनुसार दस लाख रुपए से अधिक पूंजी विनियोजन में अधिक वृद्धि कर दे ।

[सं० 199/75]

आर० के० चक्रवर्ती, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975